हिमाचल प्रदेश राज्य एंव अन्य

बनाम

हिमाचल प्रदेश निजी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र संघ

(सिविल अपील सं0 3385/2011)

अप्रेल 20, 2011

(पी0 सदाशिवम और डा0 बी एस चौहान जे.जे)

शिक्षा/ शैक्षिक संस्थानः

व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वी.टी.सी.एस.)- राज्य में विभिन्न पाठयक्रमों को चलाने की अनुमति- मंत्रीमंडल का निर्णय दिनांक 25.11.2008 द्वारा कुछ पाठयक्रमों को बंद किया जाना- उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर- बाद में, मंत्रीमंडल निर्णय दिनांक 18.07.2009 द्वारा तीन पाठयक्रम कला, शिल्प, पुस्तकालय विज्ञान, और पीटीआई को बंद करना - उच्च न्यायालय द्वारा मंत्रीमंडल निर्णय दिनांक 18.07.2009 को रद्व करना- निर्णित राज्य मंत्रीमंडल द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण राज्य परिषद के प्रस्ताव पर विचार करके निर्णय लिया गया कि एस सी वी टी के विभिन्न प्रषिक्षण पाठयक्रमों को उपरोक्त तीन पाठयक्रमों को छोडकर जारी रखा जायेगा- चूकि मंत्रीमंडल का दिनांक 18.07.2009 का निर्णय रिट याचिका का विषय या मुददा नहीं था तो राज्य द्वारा सभी निर्णयों के

बारे में अपनी स्थिति उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं रखी गई- उच्च न्यायालय द्वारामंत्रीमंडल के निर्णय दिनांक 18.07.2009 में हस्तक्षेप किया जाना न्यायपूर्ण नहीं था- मंत्रीमंडल के निर्णय दिनांक 18.07.2009 को सभी दृष्टिकोणों से विवेचना किये बगैर राज्य की संवैधानिक प्राधिकार और नितिनिर्माण की शक्तियों को उपरोक्त क्षेत्रों में अभियांत्रिकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिबंधित करता है अतःमंत्रीमंडल के निर्णय को रद्व किया जाना स्वीकार्य नहीं है।- प्रशासनिक विधि।

भारत का संविधान 1950;

अनुच्छेद 226-लिखित याचिका- निर्णय सुरक्षित 03.07.2009- बाद में मंत्रीमंडल का निर्णय दिनांक 18.07.2009- उच्च न्यायालय द्वारा रद्व किया गया- अभिनिर्धारित- याचिका में ऐसी कोई प्रार्थना नहीं थी कि सरकार की किसी नीति या योजना या निर्णय को रद्व करने के लिए याचिका की गई बल्कि याची द्वारा एस सी वी टी के पाठयक्रम में सत्र 2007-2008 में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए निश्चित निर्देश की प्रार्थना की गई।- उच्च न्यायालय द्वारा मंत्रीमंडल के निर्णय 18.07.2009 को रद्व किया गया और मामले को बिना खोले और दोनो पक्षों को सुने बिना कि प्रकरण में बाद में क्या परिवर्तन आया है और इस संबंध में परिणामस्वरूप कई निर्देश जारी करना अस्वीकार्य और विधि के स्थापित सिद्वान्तों के विपरीत है।- मामले को पुनः खोलना उचित था।

-याचिकाकर्ता एवं संघ को अनुतोष भाग को संशोधन करने, राज्य को अपनी नीति में परिवर्तन के पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये जिससे कि वह अपना पक्ष एस सी वी टी के कुछ पाठयक्रमों को बंद करने के संबंध में परिवर्तित कर सके।- मंत्रीमंडल के निर्णय में न्यायिक समीक्षा का इतने हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि तात्कालिक मामले में किया गया है। शिक्षा/ शिक्षा संस्थान- प्रशासनिक कानून-नीतिगत निर्णय-न्यायिक समीक्षा अगली घटना।

प्रशासनिक कानून

वैध अपेक्षा -व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) को विभिन्न पाठयक्रम चलाने की अनुमति दी गई बाद मे कुछ पाठयक्रमों को बंद करने का निर्णय- उच्च न्यायालय ने निर्णित किया की वी टी सी वैध अपेक्षा के सिद्वान्तों के तहत सभी पाठयक्रमों को चलाने के हकदार थे।- अभिनिर्धारित शिक्षा एक गतिशील प्रणाली और पाठयक्रम और विषयों को बाजार की मांग, रोजगार, क्षमता, क्षमता के संबंध में एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर बदलते रहना होगा- किसी भी संस्थान को किसी विषेश पाठयक्रम को चलाने का वैध अधिकार नहीं हो सकता है ऐसा अधिकार सरकार में निहित उसकी नीति निर्माण शक्ति समाज के प्रगतिशील और वैध विकास के लिए और समय समय पर तकनीकी शिक्षा के साथ समन्वय स्थापित करते हुये सरकार में निहित है।

न्यायिक समीक्षा

व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को तकनीकी पाठयक्रम चलाये जाने की अनुमति देना- न्यायिक समीक्षा- अभिनिर्धारित यह राज्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह अच्छी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करें। यह नीति बनाने के लिए उपयुक्त है या इसके आधार पर निर्णय को परिवर्तित/ संशोधित किया जावे जो कि प्रचलित और स्वीकार्य सामग्री पर परिस्थति के अनुसार निर्णय किया जावे।-विभिन्न पेशेवर में श्रम शक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये और तकनीकी क्षेत्र पाठयकम अपने विचारों को नीति के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय से प्रतिस्थापित नहीं करता है।

प्रत्यर्थी के सदस्य संघ के अनुसार अपीलार्थी का निमंत्रण वर्ष 2004 में राज्य सरकार ने व्यवसायिक प्रशिक्षण शुरू करने के लिए आवेदन किया। राज्य में विभिन्न स्थानों केन्द्रो पर (वी टी सी) कला, और शिल्प सहित विभिन्न पाठयक्रमों को चलाने की अनुमति दी गई थी। होटल प्रबंधन, आयुर्वेद, फार्मासिस्ट, शारीरिक प्रशिक्षण पाठयक्रम और पुस्तकालय विज्ञान तत्पश्चात 27.04.2001 के बैठक में निर्णय लिया जाकर राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद(एससीवीटी) के कुछ पाठयक्रमों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है और अंत में मंत्रीमंडल की 25.11.2008 की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सत्र 2007-2008 में कुछ पाठयक्रमों में

प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाये। प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका पेश की। तत्पश्चात सरकार द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के निरीक्षण के लिए आठ निरीक्षण समितियां बनाई गई और उनकी सिफारिशें राज्य मंत्रीमंडल की बैठक 18.07.2009 में रखी गई। उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार की और मंत्रीमंडल के निर्णय 18.07.2009 के निर्णय को रद्व किया अर्थात कला और शिल्प, पुस्तकालय विज्ञान एवं पीटीआई को बंद कर दिया गया था।

राज्य सरकार द्वारा दायर इस अपील में यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा मंत्रीमंडल के निर्णय 18.07.2009 पर विचार करते हुए उसे रद्व करने में त्रुटि की है जो कि बाद की घटना के संबंध में था जबकि याचिकाकर्ता के द्वारा इस तरह का तर्क नहीं दिया गया था आैर याचिकाकर्ता द्वारा अपनी मूल याचिका में कोई मूल संशोधन किया गया था।यह भी तर्क दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा अपनी नीति में परिवर्तन करने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय को निरस्त हीं नहीं किया गया बल्कि अनेकों निर्देश जारी कर दिये गये जो कि अस्वीकार्य है।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करके अभिनिर्धारित किया गया:

1. रिट याचिका में प्रार्थना का अवलोकन यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रतिवादी संघ ने राज्य सरकार की किसी नीति या योजना या आदेश

को रद्व करने की मांग नहीं की थी बल्कि एस सी वी टी के सत्र 2007-2008 के पाठयक्रम में प्रवेश के लिए कुछ निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई थी। यह इंगित करना प्रासंगिक है कि मामले को विस्तार से सुनने के पश्चात खण्डपीठ ने अपना निर्णय दिनांक 03.07.2009 की सुनवाई में सुरक्षित रखा और निर्णय के सुनाये जाने के लिए दिनांक 12.08.2009 निर्धारित की गई। इस तिथि से पूर्व राज्य सरकार की मंत्रीमंडल के द्वारा विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देकर दिनांक 18.07.2009 को निर्णय किया जाकर एस सी वी टी के तीन पाठयक्रम कला और शिल्प, पुस्तकालय विज्ञान तथा पीटीआई को बंद किया जाने का निर्णय किया गया और उच्च न्यायालय को राज्य महाधिवक्ता द्वारा इस निर्णय की सूचना दी गई और उच्च न्यायालय द्वारा केस को पुनः खोले बिना और इस विषय पर पश्चातवर्ती परिवर्तन पर सुने बिना जो कि मंत्रीमंडल का निर्णय 18.07.2009 था, उच्च न्यायालय द्वारा मंत्रीमंडल का निर्णय रद्व करना और निर्देश जारी किये गये इस प्रकार का तरीका अस्वीकार्य व सिद्वान्तों के विपरीत है।(पैरा 7-8)(544 एफ-एच, 545-एफ-एच, 546-बी)

1.2 चूंकि राज्य सरकार के किसी भी निर्णय को रद्घ करने की प्रार्थना नहीं की गई थी एवं दिनांक 18.07.2009 के राज्य सरकार के मंत्रीमंडल के निर्णय के संबंध में भी कोई प्रार्थना नहीं दी गई थी यदि उच्च न्यायालय उस निर्णय पर विचार करने में रूचि रखता था जो कि

दिनांक 03.07.2009 को निर्णय सुरक्षित रखने के बाद मामले को पुनः खोलने की अनुमति उत्तरदाता संघ को देता और अनुतोष भाग में संशोधन की अनुमति देता तथा राज्य को अपना पक्ष रखने तथा नीति मे संशोधन करके कुछ पाठयक्रमों को एस सी वी टी के अन्तर्गत समाप्त करने के संबंध में अवसर प्रदान करता। स्वीकार्य तौर पर उच्च न्यायालय ने उपरोक्त तरीका नहीं अपनाया और साधारण तौर पर मंत्रीमंडल का निर्णय 18.07.2009 निरस्त कर दिया और विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किये जो अस्वीकार्य है। (पैरा 8) (546-बी-डी)

2.1 साधारणत मंत्रीमंडल का निर्णय में न्यायिक समीक्षा में हस्तक्षेप इतना हल्के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए जितना कि इस वर्तमान मामले में किया। मंत्रीमंडल के निर्णय को बिना विश्लेषण और सभी कोणों से देखे बगैर रद्घ किया जाना राज्य की संवैधानिक प्राधिकार और अधिकार को कम करता है। विशेषकर ऐसे मामले में जहां पर तकनीकी शिक्षा का मामला है। ऐसे मामले में उच्च न्यायालय का यह दृटिकोण स्वीकार योग्य नहीं है। मंत्रीमंडल द्वारा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात विभिन्न पाठयक्रमों को जारी रखने का निर्णय एस सी वी टी के अन्तर्गत किया। केवल क्रम सूची संख्या, कला एवं शिल्प, और क्रम सूची संख्या चार पुस्तकालय विज्ञान को क्रम सूची संख्या 7 पीटीआई को छोड़कर समस्त पाठयक्रम जारी रखे गये। हालांकि

राज्य द्वारा पूरक शपथ पत्र पेश कर यह नहीं बताया गया कि राज्य ने इन तीन पाठयक्रमों को किन कारणों पर बंद किया है। उच्च न्यायालय द्वारा यह उद्वरित किया गया कि राज्य को नया निर्णय/ संशोधित नीति लेने बनाने तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने से वंचित किया गया। वास्तव में उक्त निर्णय में राज्य ने समस्त संस्थानों को एस सी वी टी के अन्तर्गत सूचित पाठयक्रमों को बंद करने के लिए नहीं कहा गया। मंत्रीमंडल द्वारा केवल तीन पाठयक्रमों को बंद किया गया था। इस अतिरिक्त रिट याचिका का विषयवस्तुमंत्रीमंडल का निर्णय 18.07.2009 नहीं था तथा राज्य समस्त तथ्यों को न्यायालय के समक्ष पेश करने की स्थिति में नहीं थी। इस प्रकार उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.07.2009 में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं था और उक्त निर्णय को इस याचिका में उठाया नहीं गया था, ना ही चुनौती दी गई थी।(पैरा 9-10) (546 एफ- जी, 547 एफ एच, 548 ए-बी)

2.2 चूंकि, अंततः, अच्छी शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है, प्रासंगिक और स्वीकार्य सामग्रियों के आधार पर एक नीति तैयार करना या किसी निर्णय को संशोधित/परिवर्तित करना सबसे उपयुक्त है। नीतिगत मामलों के संबंध में अदालतें राज्य सरकार के निर्णय में अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करती ।हैं वास्तव में, अदालतों को सरकार के कानून या नीतिगत निर्णय के विवेक को तोलने के

लिए अपीलीय प्राधिकारी या श्रेष्ठ विधायिका के रूप में बैठने से इंकार कर देना चाहिए, जब तक कि यह संविधान के जनादेश के विपरीत ना हो। (पैरा 11)(548-एफ-जी)

2.3 मानव संसाधन के महत्व, विषेश रूप से विभिन्न पेशेवर और तकनीकी क्षेत्रों में जनशक्ति की आवश्कता के संबंध में, सरकार समाज की जरूरतों के अनुसार अपनी नीति बनाने, उसमें बदलाव करने या संशोधित करने के लिए स्वतंत्र हैं ऐसे मामलों में अदालतें हल्के में हस्तक्षेप नहीं कर सकती जैसे कि सरकार इस स्थिति से अनभिज्ञ हो। (पैरा-12 (548-एच, 549-ए)

3.उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में भी गलती की कि प्रतिवादी संघ वैद्य अपेक्षा के सिद्धांत के तहत सभी पाठ्यक्रम चलाने का हकदार था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि शिक्षा एक गतिशील प्रणाली है और पाठ्यक्रम/विषयों को बाजार की मांग, रोजगार क्षमता, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता आदि के संबंध में बदलते रहना पड़ता है। किसी भी संस्थान को चलाने का वैद्य अधिकार या अपेक्षा नहीं हो सकती है। एक विशेष पाठयक्रम हमेशा के लिए और यह समाज के प्रगतिशील और वैद्य विकास के लिए नीति और दिशा-निर्देश तैयार करने में और क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए सरकार में निहित व्यापक शक्ति और अधिकार हैं जिसमें समय-समय पर तकनीकी शिक्षा प्रदान करना

शामिल है। जितनी संस्थाओं को उपयुक्त पाया गया उन्हें पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी गई केवल तीन पाठ्यक्रम उपरोक्त वर्णित चलाने की अनुमति नहीं दी गई, वैद्य अपेक्षा का सिद्धांत- राज्य के द्वारा उपरोक्त अपेक्षित सिद्धांतो को उपेक्षित नहीं किया गया है। (पैरा 10-11), (548-डी-ई)

4. उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश रद्द करना मंत्रीमंडल निर्णय दिनांक 18.07.2002 और प्रतिवादी संघ के पक्ष में 25,000 रूपये का पुरूस्कार देने संबंधी दिशा-निर्देश रद्द करना। (पैरा-13)(549-डी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 2011 की 3385.

उच्च न्यायालय हिमाचाल प्रदेश, शिमला द्वारा सीडब्ल्यूपी नंबर 2948/2008 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.08.2009।

अपीलार्थी की ओर से अल्ताफ अहमद, एस.पी. जैन और हिमिंदरलाल।

उत्तरदाता की ओर से अनूप चौधरी, आशीष मोहन और के.के. मोहन

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया।

न्यायाधीश पी.सदाशिवम, जे.1 के द्वारा याचिका स्वीकृत किया गया।

2. यह अपील उच्च न्यायालय हिमाचल, शिमला द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 12.08.2009 के विरूद्ध की गई है जो कि सी.डब्लयू.पी नंबर 2948 वर्ष 2008 में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका उत्तरदाता द्वारा पेश की गई रिट याचिका स्वीकार किये जाने के विरूद्ध की गई है।

3.संक्षिप्त तथ्य

(a) भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की सिफारिशों के अनुसरण में एक समिति वर्ष 1951 में नियुक्त की गई जो समिति राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणन जांच समिति नाम से जानी जाती है जिसे यह निर्देशित किया गया कि वह ऐसी योजना बनाये जिससे अखिल भारतीय व्यापार मण्डल जो विभिन्न अभियांत्रिकी और भवन निर्माण व्यवसायों में कारीगरों को दक्षता का प्रमाण पत्र प्रदान करे। उक्त समिति ने कुछ सिफारिशें की और उन्हें स्वीकार करते हुए अखिल भारतीय आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय और शिल्पकौशल में दक्षता के प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय एजेन्सी बनाई गई। भारत सरकार ने प्रशिक्षण संगठन के प्रशासन को महानिदेशालय के अधीन स्थानांतरित करने का निर्णय लिया और राज्य के नियंत्रण में पुनर्वास और रोजगार संबंधित सरकार अपने लिए कारीगरों के प्रशिक्षण का समन्वय और प्रशिक्षण निर्धारित करने की नीति बनाना।

(बी) तदनुसार राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के परामर्श से, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी और इसको राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र स्थापित करने और प्रदान करने से संबंधित कार्य सौंपे गये थे। पूरे देश में तकनीकी और व्यावसायिक व्यवसायों में कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए मानक और पाठ्यक्रम और समग्र प्रशिक्षण नीति पर केन्द्र सरकार को सलाह देना और सहायता करना और कार्यक्रम, इसी तर्ज पर राज्य स्तर पर व्यावसायिक प्रषिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) बनाई गई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय नीति (एनपीई) 1986 के अनुरूप, पारंपरिक और साथ ही अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में जन शक्ति के उत्पादन के लिए एक नीति अपनाने का निर्णय लिया और अन्य व्यावसायिक अनुशासन के संबंध में भी सरकार ने वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र मे निवेश की अत्यधिक आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया जिसके लिए सरकार को सभी संभव सुविधायें प्रदान करनी थी। तकनीकी और अन्य की स्थापना के लिए आवश्यक ढांचागत सुविधाओं के लिए रियायतें भी प्रदान करनी थी। राज्य में व्यावसायिक संस्थान को स्थापित करने के लिए और इन उददेश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार

द्वारा तकनीकी शिक्षा नीति और तकनीकि शिक्षा विभाग के द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसीएस) निर्मित किये गये।

(सी) वर्ष 2004 में राज्य सरकार ने अपने तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से निजी दलों/संस्थानों को हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) खोलने के लिए आमंत्रित किया इन केन्द्रों को उक्त दिशा-निर्देश के तहत प्रदान किये गए नियमों और शर्तो पर छात्रों को अनुमत पाठयक्रमों के लिए प्रवेश देने की अनुमति दी गई थी। उक्त निमंत्रण के अनुसरण में प्रतिवादी संघ के सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों पर (वीटीसी) खोलने के लिए आवेदन किया। प्रतिवादी संघ के सदस्यों को कला और शिल्प, होटल प्रबंधन, आयुर्वेद, फार्मासिस्ट, शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक, पुस्तकालय विज्ञान आदि सहित विभिन्न पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति देने के लिए आशय पत्र जारी किये गये थे।

(डी) दिनांक 27.04.2006 को आयोजित एससीवीटी की बैठक में कुछ पाठ्यक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया गया था जिसमे रोजगार व स्वरोजगार की बहुत कम गुंजाईश थी और उनके स्थान पर बाजार/उद्योग की मांग के अनुसार नये पाठ्यक्रम शुरू किये जायें। इसके बाद दिनांक 21.08.2007 को आयोजित बैठक में राज्यपरिषद ने पूर्व बैठक

दिनांक 27.04.2006 की कार्यवाही की पुष्टि करते हुए 161 नये वीपीसी खोलने और पहले से मौजूद 112 वीटीसी के नवीनीकरण को मंजूरी दे दी।

(ई) निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढावा देने और प्रोत्साहित करने के राज्य सरकार के प्रयास के बावजूद शैक्षणिक सत्र 2007-08 के लिए संस्थानों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति नहीं दी। प्रतिवादी संघ के सदस्यों ने इस सबंध में राज्य सरकार को प्रतिवेदन दिया। तत्पश्चात 23.10.2008 को आयोजित बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि बैठक में उठाये गये सभी मुद्दों को रद्द करने सहित संबद्धता नये प्रवेश की अनुमति और नये पाठ्यक्रम शुरू करने की जांच मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उपसमिति द्वारा की जायेगी, तदनुसार उपसमिति का गठन 25.10.2008 को किया गया था। 25.11.2008 को उपसमिति इसलिए गठन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस मामले कोमंत्रीमंडल की बैठक दिनांक 25.11.2008 में उठाया गया। मंत्रीमंडल के फैसले का यह असर हुआ कि शैक्षणिक सत्र 2007-08 के लिए कोई प्रवेश नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों को प्रतिवादी द्वारा पढाया जा रहा है और मंत्रीमंडल निर्णय के पश्चात सरकारी आदेश दिनांक 19.12.2008 जारी किया गया। मंत्रीमंडल निर्णय दिनांक 25.11.2008 एवं शासन आदेश दिनांक 19.12.2008 के अनुपालन में 8 निरीक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (वीटीसी) के निरीक्षण के लिए

निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा समितियों का गठन किया गया और इन समितियों की सिफारिशें राज्य को भेजी गई और दिनांक 18.07.2009 की बैठक में राज्य मंत्रीमंडल के समक्ष रखी गई।

(एफ). मंत्रीमंडल के दिनांक 25.11.2008 के फैसले को चुनौती देते हुए प्रतिवादी ने हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष 2008 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2948 के तहत रिट याचिका दायर की। 12.08.2009 को उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और 18.07.2009 के मंत्रीमंडल के फैसले को रद्द कर दिया जिसमें तीन पाठ्यक्रमों अर्थात् क्रमांक संख्या 1 (कला और शिल्प), क्रमांक संख्या 4 (पुस्तकालय विज्ञान), क्रमांक संख्या 7 (पीटीआई)। इसके अलावा न्यायालय ने विभिन्न निर्देश जारी किये और 25,000 रूपये का जुर्माना लगाया जिससे उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष यह अपील दायर की है।

4. श्री अल्ताफ अहमद, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलकर्ता राज्य और श्री अनूप चौधरी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतिवादी

5. श्री अल्ताफ अहमद वरिष्ठ अधिवक्ता राज्य की ओर से उपस्थित हुए राज्य ने हमें रिट याचिका में मांगी गई राहत के बारे में बताया और राज्य के रूख से पता चला कि तर्क सुनने के और दिनांक 30.07.2009 को निर्णय सुरक्षित रखने के बाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने विचार

करने में त्रुटि की। मंत्रीमण्डल निर्णय दिनांक 18.07.2009 जो एक बार की घटना है इसे रद्घ कर दिया गया जब याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में मूल प्रार्थना का अनुरोध या संशोधन नहीं किया है। उन्होंने यह भी बताया कि नीति को संशोधित करने में राज्य की रूख की सराहना किये बिना उच्च न्यायालय ने ना केवल मंत्रीमंडल के फैसले को रदद किया बल्कि विभिन्न दिशा- निर्देश जारी किये जो अस्वीकार्य है। दूसरी ओर अनूप चौधरी वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता ने पुनः प्रस्तुत होकर कहा कि वैद्य अपेक्षा के सिद्धांत पर प्रतिवादी राज्य द्वारा विभिन्न विषयों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए निजी संस्थान को बढावा देने की नीति में बदलाव करना उचित नहीं है।

6. माना जाता है कि यहां प्रतिवादी जो व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों(वीटीसी) का एक अपंजीकृत संघ है, ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ राहत की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की। प्रतिवादी संघ के अनुसार उसके सदस्य विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रशिक्षण दे रहे हैं।केन्द्र और हिमाचल प्रदेश एससीवीटी द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। प्रतिद्वंदी तर्कों की सराहना करने के लिए रिट याचिका में मांगी गई राहत का उल्लेख करना उपयोगी है जो कि इस प्रकार है

इसलिए, रिट में विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह रिट याचिका स्वीकार की जावे।

(1) उत्तरदाताओं को सत्र 2007-08 के लिए एससीवीटी पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देने के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए परमादेश की रिट याचिका जारी करके निर्देशित किया जा सकता है और परिणामस्वरूप उम्मीदवारों को अनुमोदित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों(वीटीसी) में प्रायोजित करे जो कि उत्तरदाता द्वारा एससीवीटी पाठयक्रमों के लिए अनुमोदित की गई है।

(2) उत्तरदाता द्वारा इस मामले में यह महसूस किया गया कि कुछ औपाचारिकताएं और हैं जो कि पूरी की जानी हैं या कुछ कमियां है जो कि एक विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) द्वारा दूर की जानी आवश्यक हैं और उत्तरदाता द्वारा इस संबंध में कदम उठाये जाने चाहिए तथा संबंधित वीटीसी को ऐसी कमियां दूर करने का युक्तियुक्त समय दिया जाना चाहिये और पाठयक्रम को निर्बाध रूप से जारी रखा जा सकता है।

(3) उत्तरदाताओं को उन सभी अनुमत पाठयक्रमों के लिए प्रवेश प्रकिया तुरन्त शुरू करने का निर्देश दिया जा सकता है जिनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) अतीत में संबंद्व/ अनुमोदित और छात्रों को जल्द से जल्द संबंधित वीटीसी को आंवटित किया जा सकता है।

(4) यदि उत्तरदाताओ के लिए केन्द्रीय परामर्श कठिन हो गया है तो संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) को किसी विशेष पाठयक्रम के लिए उत्तरदाताओं द्वारा तय किये गये न्यूनतम मानकों को ध्यान में रखते हुये अपने स्वयं के छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी जा सकती है और लागत भी प्रदान की जा सकती है।

(5) तथ्यों के आधार पर उचित समझी जाने वाली कोई अन्य राहत मामले की परिस्थितियों में भी अनुमति दी जा सकती है न्याय का हित. लागत भी प्रदान की जा सकती है।"

7. सभी प्रार्थनाओं के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिवादी संघ ने राज्य सरकारी की किसी भी नीति या योजना या निर्णय या आदेश को रद्घ करने की मांग नहीं की थी बल्कि केवल सत्र के लिए एस सी वी टी पाठयक्रमों में छात्रों के प्रवेश के लिए कुछ निर्देशों के लिए प्रार्थना की थी। 2007-08 सत्र के लिए राज्य ने अपना रूख बताते हुए जबाव दाखिल कर दिया है कि इस बात पर प्रकाश डाला गया कि स्थापित संस्थाओं को एएलसीटीई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एनवीटीसी और एसवीटीसी विभिन्न शीर्ष निकायों के मानदण्डो दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। जवाब में यह भी कहा गया कि वीटीसी मे प्रवेश का पूरा मुद्दा मंत्रीमंडल की बैठक दिनांक 25.11.2008 में उठाया गया था और परिणामस्वरूप एक शासकीय आदेश दिनांक

19.12.2008 को जारी किया गया। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मामले की सुनवाई करते हुए खण्डपीठ ने 28.05.2009 को विद्वान महाधिवक्ता को निर्देशित किया कि महाधिवक्ता राज्य से निर्देश मांगें कि इन संस्थानों के लिए परीक्षा आयोजित करने के संबंध में सरकार का क्या रुख है। राज्य सरकार द्वारा 02.07.2009 को एक पूरक शपथ पत्र दायर किया गया था। कोर्ट ने सरकार का पक्ष भी दर्ज किया कि वर्ष 2008-2009 के लिए संस्थानों को कला एवं शिल्प और पुस्तकालय विज्ञान और पीटीआई को छोड़कर पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी गई थी। अंततः उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य ने याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को भारी धनराशि निवेश करने के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य में संस्थान खोलने की अनुमति देकर उनमें वैध उम्मीद पैदा की है कि भविष्य में भी उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। उन पाठ्यक्रमों को चलाएं जिनकी अनुमति संस्थानों की स्थापना के समय दी गई थी और इसके अलावा याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को इन पाठ्यक्रमों को चलाने से इंकार करके राज्य सरकार की मनमानी कार्रवाई से अधर में छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि राज्य सरकार ने इन पाठ्यक्रमों को चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी है। अंतिम पैराग्राफ में इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और 18.07.2009 को मंत्रीमंडल द्वारा

लिए गए निर्णय को रद्द कर दिया। यह बताना प्रासंगिक होगा कि मामले की विस्तार से सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने 03.07.2009 को इसे फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया था। फैसले की घोषणा से पहले यानी12.08.2009 को राज्य सरकार की मंत्रीमंडल ने विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के बाद 18.07.2009 को एससीवीटी के तहत तीन पाठ्यक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया अर्थात् कला और शिल्प, पुस्तकालय विज्ञान और पीटीआई। उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता के माध्यम से मामले पर निर्णय प्राप्त होने पर मामले को फिर से खोले बिना और मामले के बाद के विकास के बारे में दोनों पक्षों को सुने बिना यानी 18.07.2009 को मंत्रीमंडल के फैसले को रद्द कर दिया और विभिन्न निर्देश जारी करके इसे रद्द कर दिया।

8. हमने पहले ही उस राहत का विज्ञापन कर दिया है जिसके लिए प्रार्थना की गई थी। उक्त रिट याचिका में प्रतिवादी संघ ने सरकार के पहले के मंत्रीमंडल निर्णय या आदेश को भी रद्द करने की कोई प्रार्थना नहीं है। मंत्रीमडल के फैसले दिनांक 18.07.2009 को रद्द करने और परिणामस्वरूप कई निर्देश जारी करने का उच्च न्यायालय का निष्कर्ष अस्वीकार्य है और अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। सबसे पहले राज्य सरकार के किसी भी निर्णय को रद्द करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी यहां तक की 18.07.2009 के बाद केमंत्रीमडल निर्णय को भी रद्द करने

की कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। यदि उच्च न्यायालय उक्त निर्णय पर जाने में रुचि रखता था वह भी 03.07.2009 को निर्णय सुरक्षित रखने के बाद मामले को फिर से खोलना और याचिकाकर्ता के संघ को राहत भाग में संशोधन करने की अनुमति देना एवं राज्य को उसके नीति में परिवर्तन के संबंध में युक्तियुक्त अवसर देना उचित था। जिससे राज्य कुछ निर्धारित पाठयक्रम एससीवीटी के अंन्तर्गत बंद करने की अपनी नीति के संबंध में अपना पक्ष रख पाता। यह स्वीकृत स्थिति है कि उच्च न्यायालय ने इस तरह का सहारा नहीं लिया है और मंत्रीमडल के दिनांक 18.07.2009 के फैसले को रद्द कर दिया है और विभिन्न निर्देश जारी किए हैं जो अस्वीकार्य हैं।

9. जैसा कि श्रीमान अल्ताफ अहमद ने ठीक ही बताया है कि बिना कोई दलील सुने बिना एवं बिना कोई सवाल उठाए, मंत्रीमडल के फैसले दिनांक 18.07.2009 और बिना किसी प्रश्न के या रिट याचिका में किसी राहत की मांग के बिना उच्च न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रखने के बाद कैबिनेट के उक्त निर्णय पर विचार किया है।मंत्रीमडल के निर्णय को आम तौर पर न्यायिक समीक्षा में इतने हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है। फायदे और नुकसान का विश्लेषण किए बिनामंत्रीमडल के फैसले को रद्द करना राज्य के संवैधानिक अधिकार और शक्तियों को विशेष रूप से ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में

नीति तैयार करने के लिए प्रतिबंधित करना है और इस प्रकार के क्षेत्र जैसे तकनीकी शिक्षा देने के मामले में यह स्वीकार्य नहीं है और मंत्रीमंडल के निर्णय दिनांक 18.07.2009 के निर्णय का यह निम्नलिखित परिणाम है। दिनांक 18.07.2009

मद संख्या 37

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(गोपनीय एवंमंत्रीमडल)

विषय- राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के संबंध में

दिनांक 18.07.2009 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा की गयी एवं निम्नलिखित निर्णय लिया गया

"विचारार्थ बिंदु 1 और 2 और 4 को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया है

1. सभी पाठयक्रम संल्गनगक घ में दर्शित क्रमांक 1, 4, 7 को छोड़कर अनुमोदित।

2. एक संस्थान को 4 से अधिक पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

कार्यान्वयन रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर इस विभाग को भेजी जा सकती है।

विशेष सचिव (जीएडी)

हिमाचल प्रदेश सरकार

अपर मुख्य सचिव (तकनीकी शिक्षा)"

10. यह देखा गया है कि मंत्रीमडल ने राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के प्रस्ताव पर विचार किया और विचार-विमर्श के बाद एसआई के पाठ्यक्रमों को छोड़कर एससीवीटी के तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। नंबर 1 कला और शिल्प, क्रम नंबर 4 पुस्तकालय विज्ञान और क्रम नंबर 7 पीटीआई। हालांकि पूरक हलफनामे में राज्य ने हिमाचल प्रदेश राज्य में तीन पाठ्यक्रमों को बंद करने के कारण पर प्रकाश नहीं डाला है। उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के मामले में नई संशोधित नीति लेने से रोका गया है। दरअसल उक्त निर्णय में राज्य ने एससीवीटी पूर्व में अधिसूचित पाठयक्रमों को संस्थाओ में चालू रखने से कोई रोक नहीं लगाई है एवं एससीवीटी के

तहत अधिसूचित कैबिनेट ने केवल तीन पाठ्यक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया। चूँकि दिनांक 18.07.2009 का उक्त मंत्रीमडल निर्णय रिट याचिका का विषय वस्तु या मुद्दा नहीं था इसलिए राज्य न्यायालय के समक्ष सभी विवरणों को उजागर करने की स्थिति में नहीं था। तदनुसार हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय का 18.07.2009 के मंत्रीमडल निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था जो कि रिट याचिका में मुद्दा या चुनौती नहीं थी। हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि याचिकाकर्ता संघ यहां प्रतिवादी वैध अपेक्षा के सिद्धांत के तहत सभी पाठ्यक्रम चलाने का हकदार है।

11. उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि शिक्षा एक गतिशील प्रणाली है और पाठ्यक्रम विषयों को बाजार की मांग, रोजगार क्षमता एवं बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के आधार पर बदलते रहना पड़ता है। किसी भी संस्थान के पास किसी विशेष पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए चलाने का वैध अधिकार या अपेक्षा नहीं हो सकती है और यह समाज के प्रगतिशील और वैध विकास के लिए नीति और दिशानिर्देश तैयार करने और संतुलन बनाने के लिए सरकार में निहित व्यापक शक्ति और अधिकार है। इस क्षेत्र में समय समय पर तकनीकी शिक्षा प्रदान करना शामिल है। चूँकि उपयुक्त पाए गए संस्थानों को ऊपर उल्लिखित तीन को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी गई थी। राज्य द्वारा वैध

अपेक्षा के सिद्धांत की अवहेलना नहीं की गई थी। चूंकि अंततः यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अच्छी शिक्षा प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करे इसलिए प्रासंगिक और स्वीकार्य सामग्रियों के आधार पर परिस्थिति के आधार पर नीति बनाना या निर्णय को संशोधित परिवर्तित करना सबसे उपयुक्त है। न्यायालय अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करता है, नीति मामलों के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय। वास्तव में न्यायालय को सरकार के कानून या नीतिगत निर्णय के विवेक को तौलने के लिए अपीलीय प्राधिकारी या सुपर विधायिका के रूप में बैठने से इंकार कर देना चाहिए जब तक कि यह संविधान के जनादेश के विपरीत न हो।

12. मानव संसाधन के महत्व के संबंध में विशेष रूप से विभिन्न पेशेवर और तकनीकी क्षेत्रों में जनशक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार समाज की जरूरतों के अनुसार अपनी नीति बनाने उसमें बदलाव करने या संशोधित करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे मामलों में अदालतें हल्के में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं जैसे कि सरकार स्थिति से अनभिज्ञ हो। इन पहलुओं के अलावा प्रक्रियात्मक रूप से भी उच्च न्यायालय ने 18.07.2009 के मंत्रीमडल फैसले को रद्द करने में गलती की है जिसे वैध आधार बनाकर रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई थी। इसके अलावा दोनों पक्षों को आगामी विकास के बारे में अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया अर्थात्मंत्रीमडल निर्णय दिनांक 18.07.2009 इन

सभी कारणों से उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित है। हालाँकि हम प्रतिवादी संघ या उसके सदस्यों को अनुमति देते हैं कि यदि वे चाहें तो वे नई कार्यवाही के माध्यम से सरकार के उक्त निर्णय/आदेश को चुनौती दे सकते हैं।

13. इन परिस्थितियों में मंत्रीमडल के फैसले दिनांक 18.07.2009 को रद्द करने और प्रतिवादी संघ के पक्ष में 25000 रुपये की लागत का पुरस्कार देने सहित विभिन्न निर्देश जारी करने वाले उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। जैसा कि पहले विवेचना की गई है। प्रतिवादी संघ या उसके सदस्य वैध आधार यदि कोई हो पेश करके उचित रिट के माध्यम से उच्च न्यायालय में सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार एससीवीटी के तहत निर्धारित पाठ्यक्रमों के संबंध में अपनी नीति परिवर्तन की आवश्यकता और समाज की मांग को उजागर करने के लिए समान रूप से हकदार है।

14. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के सिविल अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार की गई।

नोट- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुरेन्द्र खरे, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकारण- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है आओर किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक आओर अधिकारिक उद्देश्यों के लिए,निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा ओर निष्पादन ओर कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।